[2018] 3 एस. सी. आर 739

सतपाल सिंह

वी.

पंजाब राज्य

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 462 आदि)

27 मार्च, 2018

[कुरियन जोसेफ, मोहन एम. शांतनागौदर

और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

जमानतः

अग्रिम जमानत की मांग करने वाला आवेदन-अपीलार्थी द्वारा-एफ. आई. आर. यू/एस. में अभियुक्त। 22 और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की 29-समानता के आधार पर

दो सह-अभियुक्तों को एक समन्वित पीठ उच्च न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश द्वारा अग्रिम जमानत दी गई थी जिसमें अभियुक्त को जांच में शामिल होने के लिए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था-अंतरिम आदेश के अनुसार अभियुक्त (याचिकाकर्ता सहित) ने सत्र न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें नियमित जमानत पर रिहा कर दिया गया-उच्च न्यायालय ने अंतिम आदेश द्वारा समानता की याचिका को खारिज कर दिया और यू/एस की सीमाओं पर ध्यान दिया। 37 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत, अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया गया अपील पर, सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि सह-अभियुक्तों को जमानत देने के आदेश नोटिस में लिए बिना थे। 37 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा स्पष्ट रूप से गलत थी, राज्य को यह सत्यापित करने का निर्देश दिया कि क्या उस आदेश के खिलाफ कोई कदम उठाया जा रहा था-राज्य ने सह-अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने के आदेश को चुनौती दी-आयोजितः उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त की अग्रिम जमानत की मांग करने वाले आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया-सह-अभियुक्त को जमानत देने का आदेश एस के संदर्भ के बिना था। 37 एन. डी. पी. एस. अधिनियम और इसलिए सही नहीं है

अग्रिम जमानत बनाम नियमित जमानत-आयोजितः यू/एस सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यायालय की संतुष्टि। 438 Cr.P.C. (अग्रिम जमानत) यू/एस से अलग है। 439 Cr.P.C. (नियमित जमानत)-केवल इसलिए कि एक अभियुक्त संरक्षण में था अग्रिम जमानत उसे स्वतः नियमित जमानत का हकदार नहीं बनाती है-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. एस. 438 और 439।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985:

एस. 37 - जमानत देने के लिए-के तहत सीमाएंः द.

अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत देने के लिए न्यायालय के विवेक पर कड़ी सीमाएं जानबूझकर रखी गई हैं-ये सीमाएं Cr.P.C के तहत निर्धारित सीमाओं के अलावा हैं।

जमानत देने पर लागू अन्य कानून-जमानत।

अभियुक्त की अपील को खारिज करते हुए और राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, जब किसी व्यक्ति पर धारा 19 या 24 या 27 ए के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया जाता है और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए भी, उसे तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को एक आदेश नहीं दिया गया है। ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर, और

यदि कोई लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, तो अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि व्यक्ति कथित अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। अभिलेख पर सामग्री देखी जानी चाहिए और इस तरह की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अभियुक्त के पूर्ववृत्त की जांच की जानी चाहिए। ये सीमाएँ Cr.P.C या जमानत देने पर लागू किसी अन्य कानून के तहत निर्धारित सीमाओं के अलावा हैं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, कानून निर्माताओं ने जानबूझकर इस तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए हैं

जमानत पर किसी व्यक्ति की रिहाई के लिए आवेदन पर विचार करते समय अदालत को उपलब्ध विवेकाधिकार पर। [पैरा 2,3 और 4] [742-जी-एच; 743-ई-जी] 2. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, अभियुक्त व्यक्तियों ने सत्र न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्हें दिनांक 1 के आदेश द्वारा नियमित जमानत पर रिहा कर दिया गया था। सत्र न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश पर ध्यान दिया। इसने उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश पर ध्यान नहीं दिया। अदालत को यह पूछना चाहिए था कि क्या मामले का अंत में निपटारा किया गया था, विशेष रूप से अंतरिम आदेश को नोटिस करने के बाद। सत्र न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए आकस्मिक दृष्टिकोण के कारण स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर आरोपी को नियमित जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

सतपाल सिंह बनाम। पंजाब राज्य

जब अग्रिम जमानत के लिए आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष विषय था, तो आरोपी को सत्र न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने और अंतरिम आदेश के आधार पर नियमित जमानत लेने का कोई काम नहीं था। [पैरा 10,11 और 13] [746-सी; 748-ई-एफ]

3. धारा 438 Cr.P.C. के तहत सुरक्षा केवल तब तक अभियुक्त के लिए उपलब्ध है जब तक कि अदालत अभियुक्त को समन नहीं भेजती। आरोप पत्र (धारा 173 (2) Cr.P.C के तहत रिपोर्ट)। इस तरह की उपस्थिति पर, आरोपी को धारा के तहत नियमित जमानत लेनी होती है

439 Cr.P.C. और उस आवेदन पर अदालत द्वारा अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि एक अभियुक्त धारा 438 Cr.P.C के तहत दी गई अग्रिम जमानत के संरक्षण में था।

5. नतीजतन, सत्र न्यायालय द्वारा पारित 31.10.2017 दिनांकित आदेश को भी दरकिनार कर दिया जाता है। दोनों में तीनों आरोपी इन अपीलों को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वे नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस मामले में सत्र न्यायालय आवेदन के गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करेगा। [पैरा 16] [749-डी]

6. यहां तक कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में की गई जांच में भी सह-अभियुक्त को दी गई नियमित जमानत का कोई संदर्भ नहीं था और वह भी उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को प्रस्तुत करने पर। अगर ऐसा ही देखा गया होता,

राज्य ने निश्चित रूप से बहुत पहले कदम उठाए होंगे। यह एक बार फिर पुलिस और अभियोजक को याद दिलाने के लिए है कि उन्हें [2018] 3 एस. सी. आर. की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत मामलों से निपटने के दौरान उचित परिश्रम और सतर्कता दिखाना। [पैरा 16] [749-ई]

विनोद कुमार बनाम। पंजाब राज्य (2013) 1 आरसीआर

(आपराधिक) 428-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2013) 1 आर. सी. आर. (आपराधिक) 428

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2018 का सं. 462।

उच्च न्यायालय के 04.10.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के सी. आर. एम.-एम.-37140 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार

के साथ

2018 की आपराधिक अपील संख्या 463।

एच. पी. एस. घुमन, देवेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री जसप्रित गोगिया, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कुरियन, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलार्थी-सतपाल सिंह (सीआरएल में। अपील करें। 2018 का सं. 462)

2017 के सी. आर. एम.-एम.-37140 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.10.2017 के आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपीलकर्ता नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (संक्षेप में, "एन. डी. पी. एस. एक्ट") की धारा 22 और 29 के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 0053 में आरोपी था, जो पुलिस स्टेशन भादसन, जिला पटियाला में पंजीकृत था। हालांकि यह तर्क दिया गया था कि ए

उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने अग्रिम जमानत दे दी थी

सह-अभियुक्त, अर्थात् बेअंत सिंह और सुखविंदर सिंह, जो अपीलार्थी के भाई हैं, दिनांक 1 के आदेश के अनुसार, विद्वान न्यायाधीश इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं थे क्योंकि जहां तक जमानत का संबंध है, समानता का कोई सवाल ही नहीं था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समन्वय पीठ ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के तहत सीमाओं पर ध्यान नहीं दिया था। हमारे विचार में, विद्वान न्यायाधीश अपने दृष्टिकोण में और संहिता की धारा 438 के तहत संरक्षण को अस्वीकार करने में पूरी तरह से सही है।

दंड प्रक्रिया, 1973 (संक्षेप में "Cr.P.C")।

3. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 इस प्रकार हैः

" संज्ञेय और गैर-जमानतीय अपराध (1)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद -

(क) इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध होगा -

पहचानने योग्य;

(बी) [धारा 19 या धारा 24 या धारा 27 ए के तहत अपराधों और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए भी] दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को रिहा नहीं किया जाएगा।

जमानत या अपने स्वयं के मुचलके पर जब तक कि -

(i) लोक अभियोजक को एक अवसर दिया गया है -

ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करें, और

((ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां अदालत का समाधान होता है कि इसके लिए उचित आधार हैं।

यह मानते हुए कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और वह है

जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं।

(2) उप-धारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमाएं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या किसी अन्य के तहत सीमाओं के अलावा हैं।

जमानत।] " (जोर दिया गया)

4. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के तहत, जब कोई व्यक्ति आरोपी होता है।

धारा 19 या 24 या 27 ए के तहत दंडनीय अपराध और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए भी, उसे तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो।

ऐसी रिहाई के लिए आवेदन, और यदि कोई लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, तो अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि व्यक्ति कथित अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। अभिलेख पर सामग्री देखी जानी चाहिए और इस तरह की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अभियुक्त के पूर्ववृत्त की जांच की जानी चाहिए। ये सीमाएँ Cr.P.C या जमानत देने पर लागू किसी अन्य कानून के तहत निर्धारित सीमाओं के अलावा हैं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, कानून निर्माताओं ने जानबूझकर उपलब्ध विवेकाधिकार पर इस तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए हैं जमानत पर किसी व्यक्ति की रिहाई के लिए आवेदन पर विचार करते समय अदालत में। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने इस प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया है। और यह अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसे न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. इस प्रकार यह ध्यान में रखते हुए कि स्पष्ट रूप से एक गलत आदेश दिया गया है
घ उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा, इस न्यायालय, आदेश द्वारा
22.11.2017 , राज्य को यह सत्यापित करने का निर्देश दिया कि क्या कोई कदम उठाया गया है
अग्रिम जमानत देने के आदेशों को चुनौती देने के लिए लिया गया
क्यूस किया गया।

6. मामला 15.12.2017 तक स्थगित कर दिया गया और उसके बाद
. 2018 , और यह देखते हुए कि अभी भी राज्य द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए थे
बी उच्च द्वारा पारित स्पष्ट रूप से गलत आदेश को चुनौती देने के लिए
बेअंत सिंह और गुरिंदर सिंह के संबंध में, इस अदालत ने पारित किया
18.01.2018 पर आदेश जारी किया जा रहा हैः

" अन्य बातों के अलावा, याचिकाकर्ता ने समानता की मांग की है
अग्रिम जमानत के लिए। अग्रिम जमानत मंजूर किए जाने पर ध्यान देना
सह-अभियुक्त को एन. डी. पी. एस. मामले में, यह न्यायालय दिनांकित आदेश द्वारा
22.11.2017 , नोटिस जारी करते समय निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः

" नोटिस जारी करें, जो तीन सप्ताह में वापस किया जा सकता है।
इस बीच, प्रतिवादी-राज्य को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया जाता है
कि क्या चुनौती देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं
सह-अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने के आदेश
एक ही मामला "।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि दिनांकित आक्षेपित आदेश में
4.10.2017 विद्वान न्यायाधीश ने नोट किया है कि समन्वय सह-अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने वाली पीठ ने
एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 की धारा 37 पर ध्यान देना छोड़ दिया गया।

इसके बाद, मामले को 15.12.2017 पर पोस्ट किया गया और

वकील ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा,

जो दिया गया था।

आज, प्रत्यर्थी/राज्य के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि

जवाबी हलफनामा तैयार है और इसकी अनुमति दी जा सकती है।

सप्ताह के दौरान दाखिल किया जाना है। अनुमति दी जाती है।

जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 6 में यह कहा गया है

नहीं।

दिनांकित 21.09.2017 आदेश को चुनौती देने का निर्णय, जिसके द्वारा

सह-अभियुक्त बेअंत को अग्रिम जमानत दी गई।

सिंह और सुखविंदर सिंह को ले लिया गया है।

सरकार "।

सतपाल सिंह बनाम। पंजाब राज्य [कुरियन, जे.]

प्रत्यर्थी/राज्य के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, क्योंकि फाइल को गुजरना पड़ता है

कई हाथ।

हम सचिव (विधि) या मंजूरी से संबंधित मामलों से निपटने वाली सरकार में संबंधित सचिव को निर्देश देते हैं कि वह इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.09.2017 के आदेश द्वारा सह अभियुक्त को दी गई जमानत को रद्द करने की मंजूरी से संबंधित रिकॉर्ड के साथ अगली तारीख को उपस्थित हो।

सुनना।

07.02.2018 "पर पोस्ट करें।

7. इसके बाद मामले को 07.02.2018 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस न्यायालय ने 18.01.2018 दिनांकित आदेश को आगे बढ़ाते हुए एक और आदेश पारित किया, जो इस प्रकार हैः

" आज श्री एन. एस. कलसी, अपर मुख्य सचिव, गृह और न्याय, पटियाला के पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित पुलिस अधिकारी उपस्थित हैं।

अदालत में।

यह बताया गया है कि मामला अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह मामलों और न्याय के संज्ञान में आया, केवल 25.01.2018 पर और एक सप्ताह के भीतर एक विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए कदम उठाए गए हैं और वही दायर किया गया है।

हम अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह और न्याय को निर्देश देते हैं कि वे इस बात की उचित जांच करें कि इस तरह का लापरवाह रवैया अपनाने में शामिल अधिकारी/अधिकारी कौन हैं, जबकि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में कहा है कि सह-अभियुक्त को जमानत देने का आदेश नहीं था।

उचित है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिपोर्ट में उन अधिकारियों के नाम शामिल होंगे, जो इस न्यायालय के समक्ष तीन बार तैनात होने के बावजूद मामले को न्यायालय के समक्ष नहीं लाने के लिए सतर्क नहीं थे।

सरकार। रिपोर्ट, जैसा कि ऊपर बताया गया है, चार के भीतर दाखिल की जाएगी।

आज से सप्ताह।

चार सप्ताह के बाद पोस्ट करें।

अधिकारियों की उपस्थिति को आगे तक छोड़ दिया जाता है।

"[2018] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. इसके बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सतर्क हो गया है और बेअंत सिंह और बलविंदर सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने के लिए कदम उठाए गए हैं और यह सी. आर. एल. का विषय है। 2018 की अपील संख्या 463।

9. राज्य ने विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले का विस्तार से उल्लेख किया है।

(2013) 1 आर. सी. आर. (आपराधिक) 428 में नशीली दवाओं की लत और समाज में इसके दुष्प्रभावों के संबंध में। इस प्रकार, ऐसा नहीं है कि राज्य को पंजाब राज्य की गंभीर स्थिति के बारे में पता नहीं था। फिर भी, यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष सतर्कता न बरतने के अपने दृष्टिकोण में लापरवाह रहा है उपाय।

10. अभियुक्तों की ओर से पेश विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, उन्होंने सत्र न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्हें नियमित जमानत पर रिहा कर दिया गया था। सत्र न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 का आदेश न्यायालय के अवलोकन के लिए उपलब्ध कराया गया है। आदेश इस प्रकार है:

" चालान आज प्रस्तुत किया गया। इसे जांचा और पंजीकृत किया जाए। आरोपी सुखविंदर सिंह और बेअंत सिंह को दिए गए दस्तावेजों की प्रतियां जो बिना किसी लागत के आए हैं। उन्होंने जमानत स्वीकार करने और सत्यापित करने के लिए भी आवेदन दिया

माननीय उच्च न्यायालय के दिनांकित आदेशों के अनुसार बांड

14.7.2017 . माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति भी इसके साथ संलग्न है। उक्त आदेश को इंटरनेट के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय की साइट से सत्यापित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए, दोनों अभियुक्तों को रुपये की राशि में जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। समान राशि में एक-एक जमानत के साथ एक लाख। प्रस्तुत किए गए बांड जिन्हें स्वीकार और सत्यापित किया गया है।

इस मामले में अमरीक सिंह पटियाला की केंद्रीय जेल में बंद है। उसके उत्पादन वारंट को 7.11.2017 के लिए जारी किया जाए।

11. यह देखा जा सकता है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा जो नोट किया गया है वह उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 14.07.2017 द्वारा पारित अंतरिम आदेश है, जो निम्नानुसार है:

" याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पुलिस संस्करण के अनुसार, प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी से प्रभावित थी

याचिकाकर्ताओं के पिता अमरीक सिंह द्वारा ले जाया गया बैग और

याचिकाकर्ता-सुखविंदर सिंह पर सतपाल सिंह बनाम का चालक होने का आरोप लगाया गया था।

पंजाब राज्य [कुरियन, जे.]

मोटर चक्र। यह सवाल कि क्या याचिकाकर्ताओं के पास अपने पिता के कब्जे में प्रतिबंधित पदार्थ था, चालान पेश करने से पहले जांच एजेंसी द्वारा देखा जाना चाहिए।

21.09.2017 के लिए गति की सूचना।

इस बीच, याचिकाकर्ताओं को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने और एक सप्ताह के भीतर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है। उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता होने की स्थिति में, उन्हें अगली तारीख तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वे गिरफ्तारी अधिकारी की संतुष्टि के लिए बांड प्रस्तुत करें। हालाँकि, वे धारा 438 (2) (i) से (iv) Cr.P.C के तहत परिकल्पित नियमों और शर्तों का पालन करेंगे। ऐसा न करने पर वे उन्हें दी गई अंतरिम जमानत का लाभ खो देंगे।

12. वास्तव में, मुख्य याचिका का निपटान दिनांक 21.09.2017 के आदेश से किया गया था। आदेश इस प्रकार हैः

" वर्तमान याचिका धारा 438 संहिता के तहत दायर की गई है।

अग्रिम जमानत देने के लिए दंड प्रक्रिया

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 22,29 के तहत पुलिस स्टेशन में दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज मामले की प्राथमिकी संख्या 0053 दिनांक 11.06.2017 में याचिकाकर्ता

भादसन, जिला पटियाला।

सुना है। अमरीक सिंह को पुलिस ने प्रतिबंधित पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था जिसमें विभिन्न मादक पदार्थ शामिल थे। याचिकाकर्ता नंबर 2 गुरिंदर सिंह के खिलाफ आरोप है कि वह मौके से फरार हो गया था।

वह मोटर साइकिल छोड़ने के बाद जिस पर वह अपने पिता-अमरीक सिंह के साथ यात्रा कर रहे थे। याचिकाकर्ता नंबर 1-बेअंत सिंह के खिलाफ आरोप है कि वह प्रतिबंधित पदार्थ खरीद रहा था और उसे अपने पिता और भाई को बेचने के लिए दे रहा था।

ठीक होने के समय बेअंत सिंह मौके पर मौजूद भी नहीं थे। जाँच में शामिल होने के बाद भी पुलिस ने आरोपों के संबंध में कुछ भी बरामद नहीं किया है।

गुप्त जानकारी जिसके आधार पर यह

एफ. आई. आर. दर्ज की गई। एक व्यक्ति के रूप में गुरुविंदर सिंह की पहचान

जो कथित तौर पर मौके से भाग गया, वह एक ऐसा बिंदु है जो मुकदमे के दौरान सबूत की मांग करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए लेकिन मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका की अनुमति दी जाती है और दिनांकित 14.07.2017 आदेश को तब तक निरपेक्ष बनाया जाता है जब तक कि

चालान की प्रस्तुति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

((i) याचिकाकर्ता आवश्यकता पड़ने पर पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएंगे।

((ख) याचिकाकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी परिचित व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे।

उनके खिलाफ आरोप के तथ्यों के साथ ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

अधिकारी;

((ग) याचिकाकर्ता बिना पूर्व निर्देश के भारत नहीं छोड़ेंगे।

न्यायालय की अनुमति।

((iv) कि याचिकाकर्ता अदालत में चालान पेश करने पर नियमित जमानत की मांग करेंगे, जिसे निचली अदालत करेगी।

संग्रहित साक्ष्य के आधार पर निर्णय लें जाँच "।

13. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्र न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश पर ध्यान नहीं दिया। अदालत को यह पूछना चाहिए था कि क्या मामले का अंत में निपटारा किया गया था, विशेष रूप से अंतरिम आदेश को नोटिस करने के बाद। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए आकस्मिक दृष्टिकोण के कारण स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर आरोपी को नियमित जमानत पर रिहा किया गया है। जब अग्रिम जमानत के लिए आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष विषय था, तो आरोपी को सत्र न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने और अंतरिम आदेश के आधार पर नियमित जमानत लेने का कोई काम नहीं था। अभियुक्त के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने नियमित जमानत के आवेदन के साथ उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 21.09.2017 द्वारा पारित अंतिम आदेश को प्रस्तुत किया था।

14. किसी भी मामले में, धारा 438, Cr.P.C के तहत संरक्षण है।

Cr.P.C. और उस आवेदन पर अदालत द्वारा अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि एक अभियुक्त संरक्षण में था धारा 438 Cr.P.C के तहत दी गई अग्रिम जमानत का मतलब सतपाल सिंह बनाम नहीं है।

कि वह स्वतः धारा 439 Cr.P.C के तहत नियमित जमानत का हकदार है। धारा 438 Cr.P.C के तहत सुरक्षा देने के लिए अदालत की संतुष्टि नियमित जमानत पर विचार करते समय धारा 439 Cr.P.C के तहत से अलग है।

15. जो भी हो, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 21.09.2017 आदेश से यह नहीं पता चलता है कि उच्च न्यायालय की धारा 37 का कोई संदर्भ है।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में और यदि न्यायालय अन्यथा जमानत देने के लिए इच्छुक था तो संतुष्टि के आवश्यक स्तर पर कोई निष्कर्ष दर्ज किए बिना। इस तरह की संतुष्टि दर्ज नहीं किए जाने के बाद, 21.09.2017 दिनांकित आदेश को केवल अलग रखा जाना है और हम ऐसा करते हैं। 16. नतीजतन, सत्र न्यायालय द्वारा पारित 31.10.2017 दिनांकित आदेश को भी दरकिनार कर दिया जाता है। इन दोनों अपीलों में तीनों अभियुक्तों को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि वे नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस मामले में, सत्र न्यायालय आवेदन के गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करेगा। फैसला देने से पहले, हम यह भी दुख के साथ नोट करते हैं कि इस अदालत द्वारा पारित आदेशों के अनुसार की गई जांच में भी, बेअंत सिंह और बलविंदर सिंह को दी गई नियमित जमानत का कोई संदर्भ नहीं था और वह भी उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को पेश करने पर। यदि इस पर ध्यान दिया जाता तो राज्य ने निश्चित रूप से बहुत पहले ही कदम उठा लिए होते। यह एक बार फिर पुलिस और अभियोजक को याद दिलाने के लिए है कि उन्हें एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत मामलों से निपटने के दौरान उचित परिश्रम और सतर्कता दिखाने की आवश्यकता है।

17. हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियों में से किसी का भी किसी के मुकदमे या विचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

किसी भी स्तर पर जमानत के लिए आवेदन क्योंकि हमारा आदेश केवल जमानत देने के मामले में अपील के उद्देश्य के लिए है।

18. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, सी. आर. एल. 2018 की अपील संख्या 462 को खारिज कर दिया गया है और राज्य की अपील यानी सी. आर. एल. अपील

2018 की संख्या 463 की अनुमति है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी